

म०प्र० शासन वन विभाग

क्रमांक/समीति/347/7180

भोपाल, दिनांक 7.02.2008

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(उत्पादन) म०प्र० भोपाल

विषय:- उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री के जरिये इमारती काष्ठ उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

---00---

राज्य शासन एतद् द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों (लघु उपभोक्ताओं को मकान बनाने के लिये, बढ़ई एवं अन्य कारीगर) के लिये इमारती काष्ठ की उपलब्धता ऐसे प्रत्येक विधान सभा में जहाँ वनों में पर्याप्त इमारती लकड़ी का उत्पादन हो रहा है, कम से कम एक डिपो स्थापित कर वहाँ से निर्धारित मूल्य पर विक्रय करने की स्वीकृति प्रदान करता है तथा निम्न प्रक्रिया का निर्धारण करता है:-

1. हितग्राही

उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण शिल्पकार, बढ़ई, कारीगर एवं अन्य ग्रामीण को स्वयं के मकान/फर्नीचर निर्माण एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये खुदरा बिक्री के जरिये इमारती काष्ठ उपलब्ध कराई जावेगी ।

2. प्रदाय की दर

यह काष्ठ उक्त सभी हितग्राहियों को विगत 6 माह में डिपों में विक्रय की गई काष्ठ के अवरोध मूल्य से अधिक प्राप्त विक्रय प्रतिशत को वर्तमान अवरोध मूल्य में जोड़कर प्रदाय की जायेगी । दरों का निर्धारण संबंधित वन संरक्षक द्वारा किया जावेगा । किसी भी स्थिति में प्रदाय की जाने वाली काष्ठ की दरें अवरोध मूल्य से कम नहीं होगी।

3. प्रदाय की जाने वाली काष्ठ की मात्रा

शिल्पकार, बढ़ई, कारीगर, फर्नीचर निर्माण के लिये हितग्राहियों को वर्ष में प्रति परिवार अधिकतम 2 घ.मी. तक इमारती काष्ठ जिसमें सागौन 1 घ.मी. से अधिक नहीं होगा उपलब्ध कराने की अधिकतम सीमा रहेगी । ग्रामीणों को स्वयं के मकान निर्माण हेतु हितग्राही को जीवनकाल में एक बार कुल 4 घ.मी. इमारती काष्ठ जिसमें सागौन 2 घ.मी. से अधिक नहीं होगा उपलब्ध कराने की अधिकतम सीमा रहेगी ।

4. उपभोक्ताओं की पहचान

उपभोक्ताओं की पहचान सरपंच के प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, उपभोक्ता की निजी भूमि की बही अथवा अन्य कोई विश्वसनीय दस्तावेज जिससे उपभोक्ता की सही पहचान हो सके, के आधार पर की जायेगी ।

5. उपभोक्ताओं को काष्ठ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया

उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री के लिये डिपों में रखी गई इमारती काष्ठ उपभोक्ता अपनी आवश्यकतानुसार चयनित करने के उपरान्त चयनित काष्ठ के लॉट नम्बर की जानकारी डिपों आफिसर/परिक्षेत्र अधिकारी को दिनांक व समय अंकित कर उपलब्ध करायेंगे । जिसके आधार पर उन्हें उपभोक्ता नम्बर आवंटित किया जायेगा तदोपरान्त वास्तविक उपभोक्ता होने के प्रमाण की जाँच की जावेगी और पहले पाओ के सिद्धांत पर निर्धारित सीमा के अन्दर उपभोक्ता को लॉट (काष्ठ) निर्धारित कीमत पर प्रदाय किया जावेगा ।

6. परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने की प्रक्रिया

उक्त काष्ठ का परिवहन अनुज्ञा पत्र उपभोक्ता को उसके निवास स्थान अथवा उससे नजदीकी आरामशील तक के गन्तव्य के लिये ही प्रदाय करेगा, जिससे क्रय की गई लकड़ी उपभोक्ता के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उपयोग में न ले

सके । समय समय पर उपभोक्ताओं को प्रदाय की गई काष्ठ के सही उपयोग की समीक्षा स्थानीय परिक्षेत्र अधिकारी (सामान्य) तथा उप वन मंडलाधिकारी (सामान्य) द्वारा की जायेगी ।

7. वर्ष 2007-2008 में उक्त व्यवस्था के लागू किये जाने के स्थानों की सूची एवं बजट प्रावधान

वर्तमान में 48 इमारती काष्ठ के डिपों हैं जिनमें अलग सेक्टर बनाकर उक्त व्यवस्था प्रारंभ की जावेगी (यह 48 डिपो किस जिले तथा किस विधान सभा क्षेत्र में स्थित हैं, की सूची परिशिष्ट-1 में संलग्न है ।) भविष्य में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक डिपो (विद्यमान अथवा नया स्थापित करके) में यह व्यवस्था लागू की जायेगी । इस वर्ष 48 डिपो में उक्त व्यवस्था लागू की जावेगी एवं आगामी 4 वर्षों में उक्त व्यवस्था प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक डिपो खोलकर पूर्ण कर ली जावेगी । इसके लिये प्रत्येक डिपो की स्थापना पर लगभग 5 लाख का व्यय आयेगा जो मुख्य वन संरक्षक (वित्त एवं बजट) द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को उपलब्ध कराया जायेगा ।

समिति द्वारा विधिवत आदेश जारी होने की प्रत्याशा में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया ।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डॉ. आर.के.गुप्ता)

पदेन अपर सचिव

म0प्र0 शासन, वन विभाग

पृ.कमांक/समिति/347 भोपाल, दिनांक /02/2008

प्रतिलिपि:-1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन वन विभाग

2. महालेखाकार (क्रमांक एक) म0प्र0 ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 28.12.2007 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(डॉ. आर.के.गुप्ता)

पदेन अपर सचिव

म0प्र0 शासन, वन विभाग